न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 336 सन 2018
अनवान :-

1. मनीराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. सहीराम 2 कानाराम 3 हरिराम पि0 भगवानाराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर।
4. चन्दकोरी 5 ज्यानादेवी पुत्रीया भगवानाराम जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर।
6. कृष्ण कुमार 7 सुभाष कुमार पुत्रगण मोहनीदेवी पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. शिशपाल 9 रणजीत 10 गिरधारी 11 राधेश्याम 12 शंकरलाल 13 प्रमेश्वरी 14 मनभरी पुत्र/पुत्रीयान निराणी पुत्री गोपाल जाति जाट साकिन भावलदेसर तहसील नोहर।

15 सन्तोष देवी 16 ख्यालीराम 17 रेशमीदेवी 18 जैतादेवी पुत्र/पुत्रीयान हीरादेवी पुत्री गोपाल जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

19. श्रवण कुमार 20 चानणराम 21 रामजीलाल पि0 काशीराम पुत्र हिरादेवी जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।

22.प्रेमश्वरी पत्नी काशीराम पुत्र हिरादेवी जाति जाट निवासी भावलेदसर तहसील नोहर।

23 ताराचन्द 24 ज्यानीदेवी 25 भादरराम 26 चन्दोदेवी 27 रामकुमार 28 शंकरलाल 29 लिलाधर पुत्र/पुत्रीया जडावदेवी पुत्री गोपाल जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

30 किस्तुरी पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

31 सन्तोष 32 अर्जुनलाल 33 सुन्दर 34 लिछमा 35 कलावती पुत्र/पुत्रीयान पुत्र जडाव जाति जाट निवासी भावलदेसर तहसील नोहर।

36 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :- 14.08.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा भावलेदसर के खाता संख्या 55/41 के खसरा न0 148 की 13.3584हैक , खसरा न0 348/1 की 3.4781हैक , खसरा न0 456 की 4.1365हैक , खसरा न0 480 की 2.7196हैक 488 की 5.0094हैक खसरा न0 492/1 की 1.5688हैक खसरा न0 517/1 की 5.3130हैक खसरा न0 527 की 19.0888हैक कुल 54.6733हैक भूमि जिसमें गोपाल पुत्र लेखूराम सयुक्त तौर से 1023 हिस्से का खातेदार काश्तकार था ।

गोपाल पुत्र लेखूराम का देहान्त हो गया है एव उनकी धर्मपत्नि का भी देहान्त हो गया है । तथा ए पुत्र भगवानाराम का भी देहान्त हो गया है एव तीन लडकीया निराणी , जडाव, हीरा देवी का भी देहान्त हो गया है।

भगवानराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जिसमें से एक पुत्री मोहनीदेवी का भी देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान 6 ,7 है एवं निराणीदेवी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 है , हिरादेवी के वारिसान प्रतिवादीसंख्या 15 ता 18 है जिसमें से एक पुत्र काशीराम का देहान्त हो गया है जिसमके वारिसान प्रतिवादी संख्या 19 ता 22 है जडाव के वारिसान प्रतिवादीसंख्या 23 ता 29 है। एवं जडाव का एक पुत्र मोहनलाल है जिसका देहान्त हो गया है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 30 ता 35 है।

इसप्रकार गोपाल पुत्र लेखुराम के जायज व कानूनी वारिसान वादी व प्रतिवादी सख्या 1 ता 35 है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ,15 ता 21 ,22 ,24 ,26 के द्वारा पूर्व में ही दस्तबरदारी के अपने हक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 ,23 ,25 ,27 ता 35 के द्वारा भी अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जा चुका है इसलिये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में करने के कारण वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 35 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज गोपाल पुत्र लेखुराम के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 35 है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ,15 ता 21 ,22 ,24 ,26 के द्वारा पूर्व में ही दस्तबरदारी के अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 ,23 ,25 ,27 ता 35 ने निवेदन किया की उन्होने भी अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जा चुका है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 35 के पूर्वज गोपाल पुत्र लेखुराम के नाम से दर्ज थी गोपाल पुत्र लेखूराम का देहान्त हो गया है एव उनकी धर्मपत्नि का भी देहान्त हो गया है । तथा एक पुत्र भगवानाराम का भी देहान्त हो गया है एवं तीन लडकीया निराणी , जडाव, हीरा देवी का भी देहान्त हो गया है। भगवानराम के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 है जिसमें से एक पुत्री मोहनीदेवी का भी देहानत हो गया है जिसके जायज वारिसान 6 ,7 है एवं निराणीदेवी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 है , हिरादेवी के वारिसान प्रतिवादीसंख्या 15 ता 18 है जिसमें से एक पुत्र काशीराम का देहान्त हो गया है जिसमके वारिसान प्रतिवादी संख्या 19 ता 22 है जडाव के वारिसान प्रतिवादीसंख्या 23 ता 29 है। एवं जडाव का एक पुत्र मोहनलाल है जिसका देहान्त हो गया है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 30 ता 35 है। प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 ,15 ता 21 ,22 ,24 ,26 के द्वारा पूर्व में ही दस्तबरदारी के अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है एवं प्रतिवादी संख्या 8 ता 14 ,23 ,25 ,27 ता 35 ने निवेदन किया की उन्होने भी अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया जा चुका है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 35 ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 35 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 35 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भावलदेसर के खाता संख्या 55/41 की कुल 54.6733हैक भूमि सयुक्त तौर सें 1023 हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है तथा मृतक गोपाल पुत्र लेखू का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्वा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Web Copy - Not Official